कमिश्नर वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश

उपस्थिति :- श्री सुनील कुमार ,कमिश्नर ,वाणिज्य कर,उ0प्र0

प्रार्थी :- सर्वश्री उमा पेपर एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज, बाल्दा निशातगंज,लखनऊ।

प्रार्थना पत्र सं0 :- 09 / 2008

प्रार्थी की ओर से :- श्री वी0 भार्गव, साझीदार फर्म उपस्थित हुए।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- उमा पेपर एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज, बाल्दा निशातगंज,लखनऊ के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत दिनांक 18-1-08 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित प्रश्न निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया है :-

प्रश्न '' कागज से बनाये गये विभिन्न प्रकार के लिफाफो पर कर की दर क्या होगी ? ''

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,वाणिज्य कर, लखनऊ जोन लखनऊ से आख्या मॉगी गई जो सुनवाई के समय तक प्राप्त नहीं हुयी है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि पर श्री वी0 भार्गव, साझीदार फर्म, उपस्थित हुए। उन्होने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तर्क किया कि प्रार्थी विभिन्न प्रकार के लिफाफो का निर्माण करके सरकारी व अर्धसरकारी विभागो को आपूर्ति करते है। विभागो द्वारा इनका प्रयोग पैकिंग के लिए किया जाता है।

4- मैनें प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त तथ्यों का अवलोकन किया एवं अभिलेखो का परिशीलन किया। प्रार्थी की ओर से कागज से निर्माण किये गये विभिन्न प्रकार के लिफाफो की कर देयता का प्रश्न उठाया गया है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति सं0 3124 दिनांक 24-12-07 की अनुसूची -2 के भाग-सी के क्रमांक -176 की प्रविष्टि जो कि निम्न प्रकार है, के वस्तुओ पर 4% की दर से कर देयता है।

(176) - " Cartons (including flattened or folded cortons), boxes (including flattened or folded boxes), cases,bags and other packing containers, of paper, paperboard."

(176) - " कार्टन्स (चपटे एवं मुडे हुए कार्टन्स शामिल है), बाक्सेज (चपटे एवं मुड़े हुए बाक्सेज शामिल है), केसेज,बैग्स एवं कागज एवं पेपर बोर्ड के अन्य पैकिंग कन्टेनर्स।"

प्रार्थी के द्वारा कागजसे निर्मित लिफाफे भी वास्तव मे पैकिंग कन्टेनर्स है, अत: उपरोक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत आते है जिन पर कर की दर 4% होगी। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा निर्मित कागज के लिफाफे, जिनका प्रयोग विभिन्न विभागो द्वारा पैकिंग के लिए किया जाता है, पर कर की दर 4% होगी।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दियाजाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर-निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 13 फरवरी ,2008 ह0/ 13-2-2008

(सुनील कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com